प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अट्ठाईस' [19/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 1303]

अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 1303 द्वारा श्रीमती रेखा यादव

परिशिष्ट

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय
विन्ध्याचल भवन, प्रथम तल, खण्ड–घ भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक 3953 / खाद्य / 2017 भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2017

प्रति,

हरेन्द्र सिंह,
संयुक्त संचालक,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
स्ंचालनालय, भोपाल।

विषय : विधानसभा प्रश्न कमांक 4845 तारांकित द्वारा श्रीमती रेखा यादव, सदस्य विधानसभा।

उपरोक्त तारांकित प्रश्न जिसके सदन में उत्तर देने का दिनांक 20.03.2017 था, के भाग (ग) के उत्तर में यह जानकारी भेजी गई थी कि दुकान आवंटन के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2009 के उपाबंध (दो) की कंडिका (1) में प्रावधानित नियम के पालन में कलेक्टर (सक्षम अधिकारी) छतरपुर के समक्ष प्रकरण नहीं भेजा गया था। उक्त प्रश्न के (घ) भाग के उत्तर में यह लेख किया गया है कि प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

अतः आप उक्त अभिलेखों की जांच कर जांच प्रतिवेदन एक माह के अंदर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि विधानसभा को जानकारी भेजी जा सके।

आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक 3954 / खाद्य / 2017 भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2017

प्रतिलिपिः–

कलेक्टर, छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय

D:\DeskTop\JDHS\Gen letter 2017.doc